

अस्वीकरण

"राज्य सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, या जिन्हें राज्य सभा के आधिकारिक प्रतिवेदन कहा जाता है, में राज्य सभा की प्रत्येक बैठक की शब्दशः कार्यवाही, अंग्रेजी तथा हिन्दी में, समाविष्ट होती है। इसमें क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का अंग्रेजी अनुवाद भी समाविष्ट होता है।

राज्य सभा के वाद-विवाद जनहित में सामान्य जानकारी के प्रयोजनार्थ इंटरनेट पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस सामग्री का उपयोग करने के लिए किसी औपचारिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते सामग्री समुचित रूप से संदर्भित की जाए। स्रोत संस्था, अर्थात् राज्य सभा के प्रति निम्नलिखित रूप से अभिस्वीकृति व्यक्त की जानी चाहिए:-

"संसदीय वाद-विवाद, राज्य सभा आधिकारिक प्रतिवेदन सत्र/अंक ,संख्या..... , दिनांक..... , पृष्ठ संख्या.....से.....तक उद्धृत।"

उद्धरण विश्वसनीय रूप से अक्षरशः होना चाहिए। सामग्री को किसी भी प्रकार से सम्पादित करने की अनुमति नहीं है।

वाद-विवाद से उद्धरण, ऐसे उद्धरण से उत्पन्न किसी भी प्रकार की विधिक कार्रवाई से कोई संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

© - राज्य सभा सचिवालय"

‘राज्य सभा वाद-विवाद’ की सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी:

श्री राजीव कुमार निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) कमरा सं. ए 14, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-23019271 ई-मेल: rajivkr70.rs@sansad.nic.in	श्री मनोज कुमार संयुक्त निदेशक (संपादन एवं अनुवाद) एसबी-052, संसदीय ग्रंथागार भवन, नई दिल्ली-110001 दूरभाष: 011-23019210 ई-मेल: rs.manojkr67@sansad.nic.in
--	--